सचिव (डीएडीएफ), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनॉक 18.05.2017 को आहूत मिल्क सिचुवेशन रिव्यू बैठक में दिये गये निर्देशः

1– आगामी 03 सप्ताह में 50,000 कृषको से समितियों में दूध देने हेतु अनुबन्ध किया जाना है। अनुबन्ध में दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता का उल्लेख होना अनिवार्य है।

(कार्यवाही–प्रभारी पीएंडआई/समस्त दुग्ध संघ)

2– आगामी तीन सप्ताह में समिति संख्या, सदस्यता, उपार्जन एवं दुग्ध देने वाले सदस्यों की संख्या में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि के दृष्टिगत् कार्य सम्पादित किया जाना है।

(कार्यवाही–प्रभारी पीएंडआई/समस्त दुग्ध संघ)

3–समिति सदस्यों को Cash Less भुगतान के सम्बन्ध में प्रगति संतोषजनक न पाये जाने के फलस्वरूप आगामी तीन सप्ताह में एक अभियान चलाकर अधिक से अधिक सदस्यों को RTGS के माध्यम से दुग्ध मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान में 97,740 दुग्ध सदस्य, जिनके बैंक में खाते खोल लिए गये है का परिपूर्ण दुग्ध मूल्य भुगतान RTGS के माध्यम से किया जाना है। साथ ही इस संदर्भ में यह भी अपेक्षित है कि समस्त दुग्ध संघ प्रभारी कुल दुग्ध उत्पादकों की संख्या तथा भुगतान की गयी धनराशि की सूचना साप्ताहिक रूप से मुख्यालय, पीएण्डआई प्रभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् पीएण्डआई प्रभाग द्वारा सूचना संकलित कर एमएस प्रभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे एमएस प्रभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

(कार्यवाही– प्रभारी (पीएंडआई, एमएस एवं वित्त प्रभाग) व प्रभारी (समस्त दुग्ध संघ) एवं (जनपदीय स्थानीय प्रभारी)

4–दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से मौन पालन(Bee Keeping) की व्यवस्था आगामी तीन सप्ताह में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके दृष्टिगत क्षेत्र स्तर पर तत्संबंधी कार्यवाही सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत वॉछित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

(कार्यवाही–प्रभारी पीएंडआई/समस्त दुग्ध संघ)

5– दुग्ध संघो में विभिन्न दुग्ध उत्पादों की मांग के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समन्वय स्थापित किये जाने में लगने वाले समय में दर में वृद्धि के चलते हानि की संभावना बनी रहती है। इसके दृष्टिगत प्रभारी दुग्ध संघ मेरठ व लखनऊ को सतत् रूप से ई–टेण्डरिंग सबंधी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के दिये गये निर्देश के उपरान्त भी कार्यवाही नही की गयी हैं। निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.05.2017 तक ई–टेण्डरिंग सबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय ताकि NCDFI से ससमय क्रय प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

(कार्यवाही–प्रधान प्रबंधक दुग्ध संघ मेरठ एवं
लखनऊ तथा प्रभारी(विपणन/आप0/समन्वय)पीसीडीएफ मुख्यालय,लखनऊ)

6– एनपीडीडी के अन्तर्गत अद्यतन् उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पीपीआर प्रेषण के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–प्रभारी (एमएसडी) व सम्बन्धित दुग्ध संघ मुरादाबाद एवं कानपुर)

7– एनडीपी–1 के अन्तर्गत प्रगति संतोषजनक न पाये जाने के फलस्वरूप समस्त सम्बन्धित दुग्ध संघ प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में निहित लक्ष्यों का शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भौतिक प्रगति के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–प्रभारी पीएंडआई/समस्त संबधित दुग्ध संघ)

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0,
29–पार्क रोड, लखनऊ।

357

पत्रांक: /डी–2/एमएसडी/ए/सचिव (डीएडीएफ)/17–18 दिनांक 18.05.2017
19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– प्रधान प्रबन्धक, समस्त दुग्ध संघ, पीसीडीएफ।
2– प्रभारी(पीएंडआई)/विपणन/एमएसडी, पीसीडीएफ मुख्यालय,लखनऊ।
3– प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ मेरठ एवं लखनऊ।
4– प्रभारी(समन्वय) पीसीडीएफ मुख्यालय,लखनऊ।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक